:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक / 1625 /री.ए.डी.एम./2019 इन्दौर, दिनांक 31/8/2019

:: आ दे श ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुलिस व अन्य माध्यमों से अवगत कराया गया कि इन्दौर शहर में परिवहन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संचालकों द्वारा एप बेस्ड प्लेटफार्म के माध्यम से व सीधे रूप से संचालन कर यात्रियों के परिवहन हेतु टेक्सी कार/ऑटो रिक्शा/दो पहिया वाहन की सुविधा किराये पर उपलब्ध कराई जा रही है । इन्दौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष इस प्रकार के अवैध रूप से संचालन पर रोक लगाई जाकर इनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया है । इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जाँच करते हुवे ऐसे अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुवे 85 वाहन जप्त भी किये गये । इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस प्रकार से संचालन करने वाली कुछ एजेन्सियों के कार्यालयों पर जाकर उन्हें निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 119 के अन्तर्गत वैद्य यातायात अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही व्यवसाय का संचालन करें व तत्काल इस प्रकार के अवैध संचालन को बंद किया जावें । इसके उपरान्त भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है तथा यह देखने में आ रहा है कि कुछ एजेन्सियों/व्यक्तियों द्वारा अभी भी इस प्रकार से अवैध संचालन किया जा रहा है, जिससे वैद्य रूप से संचालन करने वाले अन्य लोक परिवहन एजेन्सियों, ऑटो रिक्शा यूनियनों आदि के द्वारा लगातार इस प्रकार के अवैध संचालन का विरोध किया जा रहा है । इन विरोधकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के अवैध संचालनकर्ताओं के कार्यालयों के सामने व अन्य स्थलों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है । कई बार आमने-सामने विरोध करने से लोक शांति भंग होने की आशंका बनी हुई है जिससे कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण भी बनते है । इन असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल आशंकाओं के कारण जनसामान्य के जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाऐं भी व्याप्त हो रही है । अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

District Magistrate
District-Indore (M. P.)

अतः मैं **लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1. यह कि ऐसे संचालक/व्यक्ति जिन्होंने परिवहन विभाग से यातायात अभिकर्ता की वैद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है, वह परिवहन विभाग द्वारा जारी शर्तो एवं नियमों के अन्तर्गत केवल वैद्य टेक्सी कार/व्यावसायिक ऑटो रिक्शा/दो पहिया वाहन के माध्यम से नियमानुसार किराया उद्ग्रहण करते हुए यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करावेंगे । निजि कार/दो पहिया वाहन/ऑटो रिक्शा के माध्यम से कोई परिवहन सुविधा किराया लेकर उपलब्ध नहीं करावेंगे ।
2. यह कि ऐसे संचालक/व्यक्ति जिन्होंने परिवहन विभाग से यातायात अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की है, वे एप बेस्ड प्लेटफार्म माध्यम से या सीधे तौर पर यात्रियों के परिवहन हेतु टेक्सी कार/व्यावसायिक ऑटो रिक्शा/दो पहिया वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी व्यवसाय संचालित नहीं करेंगे ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है और इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें, अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेंगी ।

यह आदेश दिनांक 31/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 01/9/2019 से दिनांक 30/10/2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर एवं,
जिला–दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक 1626/री.ए.डी.एम./2019 इन्दौर, दिनांक 31/8/2019

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
4. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) /पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
5. अपर कलेक्टर(समस्त), जिला इन्दौर ।
6. अति0पुलिस अधीक्षक, पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र/यातायात, इन्दौर ।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल, साँवेर, महू, देपालपुर, हातोद, कनाड़िया, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, भिचौली हप्सी, इन्दौर ।
9. एस0डी0ओ0 पुलिस, डॉ0अम्बेडकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
10. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, परदेशीपुरा, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज, आजाद नगर, गांधी नगर, खजराना क्षेत्र, इन्दौर ।
11. उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
12. उप संचालक, जन सम्पर्क, इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
13. थाना प्रभारी, थाना .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकर से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
15. निदेशक, आकाशवाणी, इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।

कलेक्टर एवं,
District Magistrate
जिला-दण्डाधिकारी,
District Indore (M. P.)
जिला इन्दौर